छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 **उरला, दिनांक 29–11–2021**

।। प्रपत्र– स्टाफ बस हेतु निविदा सूचना।।

सहपत्रों की सूचीः–

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक	पृष्ठ संख्या
01.	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	01	01
02.	स्टॉफ बस हेतु निविदा शेड्यूल	02	01
03.	निविदा के नियम एवं शर्तो की जानकारी	03––08	06
04.	टेण्डर फार्म	09––11	03
05.	स्टॉफ बस हेतु अनुबंध	12––14	03
06.	संनिष्ठा संधि	15––19	05
07.	काली सूची में न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–1)	20	01
08.	निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–3)	21	01
	कुल सहपत्र		**21**

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 **उरला, दिनांक 29–11–2021**

//02 वर्ष स्टाफ बस संचालन हेतु निविदा सूचना//

दुग्ध महासंघ में कार्यरत स्टाफ को प्रतिदिन छोकरा नाला रायपुर से डेयरी प्लांट उरला, कुम्हारी, जिला–दुर्ग तक लाने/ले जाने हेतु एक 32 सीटर मिनी बस की आवश्यकता है। भरी निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 23–12–2021 अपरान्ह् 12:30 बजे तक निर्धारित है।

निविदा का विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र महासंघ की वेबसाईट– **www.cgcoopdairyfed.in** पर उपलब्ध है।

प्रबन्ध संचालक

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 **उरला, दिनांक 29–11–2021**

।। शेड्यूल– स्टाफ बस संचालन हेतु निविदा ।।

1.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in से 30.11.2021 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
2.	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान	23.12.2021 दोपहर 12:30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्राप्त हुई निविदाएं ही शामिल की जावेंगी :– **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल,** **शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर,** **नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.)** **पिन : 492001**
3.	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	23.12.2021 दोपहर 3:00 बजे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला–बी0एम0वाय0 चरोदा, जिला : दुर्ग (छ0ग0), पिन : 490025, कार्मिक एवं प्रशासन शाखा
4.	निविदा खोलने की प्रक्रिया	➢ सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा "C" खोल कर लिफाफा "A" ,"B" प्राप्त किया जावेगा। ➢ लिफाफा "A" को खोलकर निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि, वाहन से संबंधित दस्तावेज एवं आधार–पेन कार्ड की जॉच की जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं संपूर्ण दस्तावेज सही होने पर ही भाव पत्र का लिफाफा, लिफाफा "B" खोला जावेगा।
5.	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो **"छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित" (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा।
6.	निविदा धरोहर राशि	धरोहर राशि रू. 40,000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो **"छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित" (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा।

नोट :– निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्य दिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 **उरला, दिनांक 29–11–2021**

।। स्टाफ बस हेतु परिवहन निविदा की शर्ते।।

1.कार्य का स्वरूप :–

(i) स्टाफ बस प्रतिदिन छोकरानाला स्थित पुरानी डेयरी कालोनी से प्रारंभ होकर विभिन्न स्टापेज से कर्मचारियों को लेते हुए डेयरी प्लान्ट उरला, जिला–दुर्ग तक पहुंचेगी। इसी प्रकार डेयरी प्लान्ट उरला, जिला–दुर्ग से वापस पुरानी डेयरी कालोनी छोकरानाला तक संचालन किया जावेगा।

(ii) विशेष/आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर सामान्य परिस्थितियों में बस निर्धारित मार्ग छोकरानाला स्थित पुरानी डेरी कालोनी से नगरघड़ी चौक, मोतीबाग रोड होते हुये श्याम टाकीज, पुरानी बस्ती, लाखेनगर होकर विवेकानंद आश्रम चौक, जी.ई.रोड से डेयरी प्लान्ट उरला पहुंचेगी एवं रायपुर स्थित विभिन्न स्टापेज से स्टाफ को लाने एवं छोडने का कार्य करेगी।

2.पात्रता :–

I. स्टाफ बस हेतु वाहन मॉडल वर्ष 2018 का होना चाहिए।

II. वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए। अन्य दस्तावेज भी नवीनीकृत होने चाहिये। स्वीकृत होने पर संपूर्ण निविदा अवधि में वाहन एवं चालकों के समस्त वांछित दस्तावेज अद्यतन नवीनीकृत रखना निविदाकार की जिम्मेवारी होगी ।

III. निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। नई (सोल्ड) वाहन के लिए निविदा प्रस्तुत होने पर निविदा स्वीकृति की दशा में 15 दिन में वाहन के कागजात प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

IV. यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित अथवा काली सूची (ब्लेक लिस्ट) में डाला गया है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा। साथ यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नही किया जावेगा तथा जमा अर्नेस्ट मनी राजसात की जा सकेगी। निविदाकार को संलग्न प्रारूप (अनुसूची–1) में काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के साथ लगाना होगा।

V. निविदा भरने के पूर्व इस कार्य हेतु समस्त शासकीय नियम का पालन/अनुज्ञाप्तियॉ प्राप्त करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। किसी भी दस्तावेज की कमी के कारण ठेका अवधि पर भविष्य में होने वाले किसी भी अर्थदण्ड/शास्ति के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

3. कार्य की वैधता :–

(i) स्टाफ वाहन की टेण्डर अवधि 2 वर्ष की होगी। निविदा अवधि समाप्ति के बाद प्रबंध संचालक का यह अधिकार होगा कि वह ठेका अवधि 6 माह या अधिक समय तक समान दरों पर बढ़ा सकेंगे।

4. जुर्माना :–

(i) प्रबन्धन की लिखित अनुमति के बगैर ठेकेदार ठेका अवधि के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिये वाहन नही देगा, इसी प्रकार स्टाफ परिवहन कार्य या वाहन किसी प्रकार से उप ठेके पर नही देगा और ठेके पर दी गई वाहन को हर प्रकार से भार अधिकार एवं हस्तान्तरण से मुक्त रखेगा। किसी भी शर्त पर उल्लंघन करने पर ठेकेदार द्वारा प्रबन्धन के पास जो अमानत की राशि जमा की गई है वह राजसात की जा सकेगी तथा उपरोक्त में होने वाली क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भी ठेकेदार का होगा जो ठेकेदार की अमानत राशि एवं भुगतान योग्य देयकों से वसूल की जा सकेगी। वसूली की राशि देय राशि से अधिक होने पर महासंघ कानूनी कार्यवाही करते हुए राशि वसूल कर सकेगा।

(ii) ठेकेदार द्वारा प्रबन्ध पक्ष को जो वाहन ठेके पर दी गई है उस पर यह सुस्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में स्पष्टतः लिखा जायेगा कि **–''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा स्टाफ परिवहन हेतु ठेके पर अनुबंधित वाहन''**। ठेके की अवधि में वृद्धि नही की जाती है तो निष्पादित अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के उपरान्त वाहन पर लिखा गया उक्त विवरण हटा दिया जायेगा, तदुपरान्त ही ठेकेदार द्वारा जमा अमानत की राशि लौटाई जायेगी।

(iii) <u>समय सारिणी में उल्लेखित समय से अधिकतम 10 मिनट की छूट विलम्ब हेतु दी जावेगी। इससे अधिक विलम्ब होने पर प्रतिट्रिप रू.200/– की दर से पेनाल्टी की जायेगी। इस हेतु अधिकतम 30 मिनट विलंब मान्य होगा एवं इससे अधिक होने पर रु.500/– की शास्ति आरोपित होगी।</u>

(iv) ठेकेदार द्वारा दी गई ठेके में नियोजित वाहन में खराबी आ जाने पर अथवा अन्य कोई कारणों से यदि स्टाफ लाने ने जाने में बाधा उत्पन्न होती है, तो ठेकेदार को तत्काल समान क्षमता की वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी तथा अनुबंधित वाहन को 03 दिवस में सुधरवाकर उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिदिन रु. 500/– (पॉच सौ मात्र) देयक से कटोत्रा कर किया जावेगा। इस हेतु अधिकतम सीमा 10 दिवस तक रहेगी इससे अधिक समय लगने पर प्रबंध को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह दण्ड की राशि की सीमा में वृद्धि/अनुबंध निरस्त कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था न किये जाने पर उस ट्रिप की राशि देय नहीं होगी तथा प्रबन्ध अपने विवेकानुसार वैकल्पिक व्यवस्था कर स्टाफ लाने/ले जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा तथा ऐसी स्थिति में की गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो भी राशि प्रबन्ध द्वारा भुगतान की जावेगी वह ठेकेदार से वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धन को रहेगा। साथ ही प्रबन्ध पक्ष द्वारा बस की वैकल्पिक व्यवस्था पर रू. 3000/– प्रतिट्रिप जुर्माना किया जावेगा जो कि ठेकेदार के देयकों से कटौत्रा किया जावेगा।

(v) वाहन के अंदर साफ–सफाई, वाहन की सीटों में कव्हर, गर्मी के दिनों में तेज धूप से बचाव हेतु खिड़कियों में पर्दे लगाना अनिवार्य है। ऐसा न पाए जाने पर रू.50/– प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड़ वसूला जावेगा।

(vi) अनुबन्ध प्रभावशील रहने की अवधि में ठेके पर ली गई वाहन में ठेकेदार द्वारा न तो कोई सवारी अनाधिकृत रूप से चढाई जावेगी और न ही उसके वाहन कर्मियों द्वारा ऐसी सवारियां बैठाई जायेगी अन्यथा अनाधिकृत सवारियां बैठाये जाने पर रू. 200/– प्रतिट्रिप दण्ड शास्ति स्वरूप ठेकेदार के देयकों से कटौत्रा किया जायेगा। वाहन कर्मियों जैसे –वाहन चालक, परिचालक, क्लीनर के व्यवहार अशिष्टतापूर्ण होने पर ऐसे वाहन कर्मियों को सेवा से पृथक कर देना ठेकेदार का कर्तव्य होगा अन्यथा ठेका बिना कोई पूर्व सूचना दिये रद्द कर देने का एवं अमानत की राशि जब्त करने का अधिकार प्रबन्ध पक्ष के पास रहेगा। अभद्र व्यवहार की स्थिति में महासंघ ऐसी प्रत्येक घटना पर रू. 5000/– का अर्थदण्ड कर सकेगा।

(vii) सामान्य परिस्थितियों में उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर दो माह की स्पष्ट एवं लिखित पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा किन्तु अनुबन्ध में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रबन्ध पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह ठेके को तत्काल प्रभाव से रद्द करके ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि जब्त कर ले। इसी प्रकार ठेका समाप्ति के पश्चात् 06 माह एवं इससे अधिक समय तक ठेके की इन्ही शर्तो एवं दरों के अध्याधीन जो एक समय में न्यूनतम 15 दिवस से कम नहीं होगी ठेका वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धन को रहेगा। इस दौरान ठेकेदार पूर्व सूचना देकर वाहन संचालन बन्द नही कर सकेगा अन्यथा प्रबन्ध पक्ष को वैकल्पिक व्यवस्था पर हुये अधिक व्यय की राशि का समायोजन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी जब्त की जा सकेगी।

(viii) आदेश देने के पश्चात 03 दिवस में वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु, प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा गठित समिति के समक्ष निरीक्षण करवाना होगा। सोल्ड वाहन की स्थिति में यह समय सीमा अधिकतम 15 दिवस (कैलेण्डर दिवस) होगी। समय सीमा में वाहन न लाने पर धरोहर राशि राजसात करते हुये निविदा निरस्तीकरण एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आबंटन किया जा सकेगा।

5. **<u>भुगतान की शर्ते :–</u>**

(i) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

(ii) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता कमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा, ताकि परिवहन देयक की राशि का भुगतान डिजीटल माध्यम से किया जा सके।

(iii) आयकर व व्यवसाय कर आदि की राशि परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी। साथ ही समय–समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तद्नुसार कटौती की जावेगी।

6. <u>निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया :–</u>

6.1 <u>लिफाफा "A" प्रपत्र शुल्क रू. 1000/–, धरोहर राशि रू. 40,000/– एवं वाहन के कागजात का लिफाफा :–</u>

(i) प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि का डी.डी. एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज एक अलग लिफाफा रखे, जिस पर लिफाफा "A" लिखा जाए।

(ii) धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा की जानी होगी। धरोहर राशि जमा न होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(iii) धरोहर राशि संपूर्ण ठेका अवधि तक महासंघ के पास अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

<u>लिफाफा "A" में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का चेक लिस्ट</u>

क्र.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01.	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
02.	धरोहर राशि रू. 40,000/– का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
03.	**<u>वाहन से संबंधित दस्तावेज</u>**	स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जानी है। (सोल्ड वाहन हेतु आवश्यक नहीं)
	वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र	
	वाहन का फिटनेस एवं परमिट	
	वाहन का बीमा	
04.	आधार कार्ड	स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जानी है।
	पेन कार्ड	स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जानी है।
05	संनिष्ठा निधि	संलग्न प्रारूप भरकर मूलतः संलग्न किया जाना है।
06	अनुसूची 1 काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र	रू. 10 के नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर प्रारूप अनुसार मूलतः संलग्न किया जाना है।
07	निविदाकार का माननीय संचालक मण्डल/कार्यरत कर्मचारियों से निकट संबंध न होने का अनुसूची 2 अनुसार शपथ पत्र	रू. 10 के नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर प्रारूप अनुसार मूलतः संलग्न किया जाना है।

6.2 प्रपत्र "B" <u>भाव पत्र :–</u>

(i) "भाव पत्र/दर" निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप– **"प्रपत्र–बी"** में ही प्रस्तुत किया जावे।

(ii) प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी दी जावे। कॉट–छॉट होने पर नवीन प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर नवीन प्रति को बिना कॉट–छॉट के भरा जावे।

(iii) दरें प्रति ट्रीप दी जानी है। एक ट्रिप (उरला–छोकरानाला–उरला) की दूरी लगभग 60 कि.मी. है। 24 घण्टों में स्टाफ बस सामान्य दिवसों में 04 ट्रिप (लगभग 240 कि.मी.) चलेगी एवं अवकाश के दिनों में स्टाफ बस 02 ट्रिप (लगभग 120 कि.मी.) चलेगी।

(iv) दरें अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जावे। अस्पष्ट होने/अंतर होने पर शब्दों में लिखी गई दरें मान्य की जावेगी।

(v) भारतीय स्टेट बैंक में खाता।

<u>लिफाफा "B" में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का चेक लिस्ट</u>

क्र.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01.	प्रपत्र "B" "भाव पत्र/दर"	हस्ताक्षर कर मूलतः संलग्न किया जाना है।
02.	भारतीय स्टेट बैंक में खाता	बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.3 निविदा खोलने की प्रक्रिया :–

(i) बड़ा लिफाफा "C" खोलकर सर्वप्रथम निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज का लिफाफा "A" खोला जावेगा।

(ii) लिफाफा "A" में निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,000/– एवं धरोहर राशि रू. 40,000/– का डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज सहीं होने पर ही लिफाफा "B" खोला जावेगा।

6.4 <u>निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

(i) उक्त दोनो "A" और "B" बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य बडे लिफाफे "C" में बंद कर कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.), पिन : 492001 को प्रेषित किया जावेगा। **<u>लिफाफा "C" में उपर की ओर प्रशासनिक शाखा एवं बस परिवहन हेतु निविदा, लिखा जाना आवश्यक होगा।</u>**

(ii) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से रायपुर मे दर्ज पते पर निविदाएँ प्राप्त होना आवश्यक है। **<u>किसी भी अन्य तरीके/स्थान पर प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।</u>**

(iii) निविदा लिफाफा ठीक से मुहरबंद होना चाहिये।

(iv) किसी भी कारण से निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

(v) उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्ते मान्य नहीं की जावेगी।

(vi) दरे प्रपत्र **"B"** में संलग्न होगी एवं सिर्फ और सिर्फ इसी प्रारूप में स्वीकृत होंगी ।

(vii) निविदाकार को क्षमतानुसार निर्धारित वाहन उपलब्ध करानी होगी।

(vi) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात स्टाफ बस हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें। कॉट–छॉट होने पर नवीन प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर नवीन प्रति को बिना कॉट–छॉट के भरा जावे।

(viii) निविदा में दर प्रति ट्रिप, माडल, वाहन का प्रकार इत्यादि की भी जानकारी मांगी गयी है। निविदा में निविदाकार का पता एवं फोन नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।

7. <u>सामान्य नियम एवं शर्ते :–</u>

1– स्टाफ बस के लिए प्रस्तुत निविदा प्रति ट्रिप आधार पर समस्त व्यय जैसे– ईधन, वाहन अनुरक्षण, बीमा–परमिट–अनुज्ञा–कर आदि का व्यय, चालक एवं परिचालक का वेतन, वर्तमान में प्रचलित टोल टैक्स, वाहन की साज–सज्जा व्यय ह्रास, संचालन लाभ आदि शामिल है, की गणना करते हुए दिया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी मद में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदा खोलने की तिथि के बाद लगे नवीन टोल टैक्स/वर्तमान टोल टैक्स के दर परिवर्तन के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति तदाशय के देयक प्राप्त होने पर महासंघ द्वारा की जावेगी।

2– वाहन संचालन की अवधि में डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर डीजल औसत 7.58 कि.मी. प्रति लीटर मानकर तदानुसार अनुपातिक दर संशोधन केवल डीजल खपत के अंतर की राशि पर दिया/लिया जावेगा।

3– स्टाफ बस संचालन अवधि में वाहन के कर्मचारी (चालक/परिचालक) के वेतन एवं अन्य देयतायें ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। इस संबंध में प्रचलित श्रम नियमों एवं अनुज्ञप्तियों का पालन करना वाहन ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। वाहन ठेकेदार का स्टाफ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के स्टाफ होने का न तो कोई दावा कर सकेगा और न ही उन्हें महासंघ के स्टाफ को प्राप्त कोई भी सुविधायें देय होंगी।

4– वाहन संचालन में दुर्घटना होने पर महासंघ किसी भी प्रकार की कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। समस्त आर्थिक/मानवीय हानि की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी। वाहन पर किसी भी कारण से आरोपित कोई भी शास्ति की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता वाहन ठेकेदार की होगी।

5– वाहन ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार के आन्दोलन/हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। ऐसा होने पर उनका ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात करते हुए उन्हें भविष्य की निविदाओं हेतु काली सूची में डाल दिया जावेगा।

6— स्टाफ बस परिवहन कार्य हेतु वाहन स्वामी एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे। भागीदारी में खरीदी गयी वाहन की निविदा पर समस्त भागीदारों के हस्ताक्षर किया जाना एवं भागीदारी की शर्तो का विलेख निविदा के साथ संलग्न प्रस्तुत किया जाना अथवा निविदा प्रस्तुतकर्ता के नाम अधिकार पत्र समस्त भागीदारों द्वारा जारी किया जाने पर ऐसा अधिकार पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक रहेगा। समस्त निविदायें अथवा किसी भी निविदा को ग्राहय करने अथवा अग्राहय करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, के पास सुरक्षित होगा तथा किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार भी प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जायेगा।

7— प्राप्त निविदाओं को प्रबन्ध पक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा **दिनांक 23—12—2021** को दोपहर **3.00** बजे निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी किन्तु यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते है तो भी निर्धारित समय पर निविदायें प्रबन्ध पक्ष द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदाकर्ता को स्वयं की व्यवस्था / व्यय से निविदा में उल्लेखित वाहन कमेटी के निरीक्षण हेतु प्लान्ट में लायेंगे। एक बार निविदा प्रस्तुत करने के उपरान्त किसी भी व्यक्ति को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

8— वाहन चलाने का आदेश प्राप्त होने के उपरान्त सफल निविदाकार को प्रबन्धन द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध निष्पादित करेगा। निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि रू. 40,000 / — (अक्षरी रूपये चालीस हजार मात्र) अमानत राशि के रूप में संपूर्ण ठेका अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अमानत राशि को ठेके की शर्तो की अवहेलना करने पर जब्त किया जा सकेगा अथवा ठेके की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अधिकतम 3 माह की अवधि में हिसाब चुकता होने के उपरान्त बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा अथवा ठेकेदार से कोई वसूली की जाना है तो वसूली पेटे आंशिक अथवा पूर्ण समायोजित किया जा सकेगा। ठेके विलेख प्रबन्धन द्वारा निर्धारित अवधि में निष्पादित न करने एवं अमानत की राशि जमा न करने तथा वाहन चलाने में असमर्थता व्यक्त करने पर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम होगा।

9— प्रबन्धन द्वारा पारित निर्णय के आधार पर वाहन चलाने का आदेश जारी करने के उपरान्त जैसे ही वाहन चलाना प्रारंभ हो जाता है एवं अन्य असफल निविदाकारों की धरोहर राशि वाहन चलाने की तिथि से एक माह के अन्दर लौटा दी जावेगी किन्तु जब तक निविदाओं का निराकरण करने के उपरान्त वाहन न चलाई जाती है तब तक धरोहर राशि अपने पास रखने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रहेगा।

10— वाहन में वाहन चालक एवं परिचालक के अतिरिक्त स्टाफ को बैठाने हेतु आरामदेह सीटों की व्यवस्था होना आवश्यक है तथा इस संबंध में आवश्यक पासिंग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से कराया जाना वाहन ठेकेदार का उदत्तरदायित्व होगा।

11— नाबलिग / विक्षिप्त निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

12— जिस वाहन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है वह पूर्णतः निविदाकार के स्वामित्व का होना आवश्यक है अथवा वाहन स्वामी द्वारा निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना आवश्यक है। परन्तु यदि वाहन व्यावसायिक बैंक अथवा संस्था से प्राप्त ऋण से क्रय की गई है तो ऐसी दशा में उक्त बैंक अथवा संस्था का सहमति पत्र मोटर—यान अधिनियम की धारा 31 (अ) के अंतर्गत निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

13— निविदा में वाहन मॉडल, निर्माण वर्ष तथा बैठक क्षमता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

14— सामान्यतः ठेके की अवधि दो वर्ष मानकर निविदाएं आमंत्रित की जा रही है किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्ध द्वारा ठेके की अवधि उपरोक्तानुसार स्वीकृत दरों एवं निष्पादित अनुबन्ध पत्र की इन्ही शर्तो के अधीन बढ़ाई जा सकेगी।

15— किसी भी निविदाकार द्वारा कोई निविदा सशर्त प्रस्तुत की जाती है अर्थात निविदा में कोई शर्ते रखी जाती है तो ऐसे निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

16– विशेष/आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर सामान्य परिस्थितियों में बस निर्धारित मार्ग छोकरानाला स्थित पुरानी डेरी कालोनी से नगरघडी चौक, मोतीबाग रोड होते हुये श्याम टाकीज, पुरानी बस्ती, लाखे नगर होकर विवेकानंद आश्रम चौक, जी.ई.रोड से डेयरी प्लान्ट उरला पहुंचेगी एवं रायपुर स्थित विभिन्न स्टापेज से स्टाफ को लाने एवं छोडने का कार्य करेगी **(समय सारिणी संलग्न)**। किसी भी समय वाहन संचालन मार्ग को परिवर्तित करने का अधिकार महासंघ को होगा।

8. <u>अनुबंध :–</u>

(i) निविदा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर वाहन संचालन प्रारंभ होने से पूर्व निविदाकार को संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को समय–समय पर अनुबन्ध की शर्तों के परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा, जिसे वाहन ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगा।

9. <u>सीमांकन क्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी/समस्त निविदाओं को आंशिक/संपूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।

(ii) निविदाकर्ता तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मध्य में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुबंध के नियम एवं शर्ते दोनो पक्षो को मान्य होगी। मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

10.<u>न्यायालयीन प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र रायपुर (छ0ग0) शहर होगा।

11.<u>घोषणा :–</u> निविदाकार द्वारा निविदा भरा जाना इस तथ्य का द्योतक है कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें, अनुबंध की कंडिकाए आदि) का भली भाति अध्ययन कर समझ लिया है, एवं कोई भी तथ्य/कंडिका समझ न आने पर कार्यालय से उस पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, तथा वह महासंघ की निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तों एवं अनुबंध की कंडिकाओं के अनुरूप कार्य करने पर सहमत है। निविदा भरे जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

प्रपत्र – B

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 **उरला, दिनांक 29–11–2021**

।। स्टाफ बस परिवहन हेतु निविदा की दरें प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।।

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,
उरला, पोस्ट– बी.एम.वाय. चरौदा,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ)

विषयः– स्टाफ परिवहन हेतु किराये पर वाहन चलाने हेतु निविदा की दरें।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा दैनिक समाचार पत्र ''हरिभूमि'' के अंक दिनांक 30–11–2021 में प्रकाशित निविदा सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा समाचार–पत्र ''हरिभूमि'' के दिनांक 30–11–2021 के अंक में जो निविदा सूचना करायी गई है उसमें मैं निविदा में वांछित कार्य प्राप्त करने का ईच्छुक हूँ। इसके अनुसार मैने निविदा की शर्ते/शर्तो का विवरण एवं निविदा की दरें प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र बेवसाईट www.cgcoopdairyfed.in से डाउनलोड कर निविदा प्रस्तुत करने की शर्ते एवं ठेके की समस्त शर्त मैने अच्छी तरह से पढकर समझ लीं है तथा उल्लेखित समस्त शर्ते मुझे पूरी तरह से मंजूर है। जैसा कि निविदा की शर्तो में यह उल्लेख किया है कि बस बैठक क्षमता 32 हेतु निविदा सीलबन्द निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– (अक्षरी रूपये एक हजार मात्र) एवं धरोहर राशि रू. 40,000/– (अक्षरी रूपये चालीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाना है। तदानुसार बस बैठक क्षमता 32 क्रमांक .... ठेके पर चलाने को उत्सुक हूं।

अतः निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– (अक्षरी रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... बैंक का नाम – ....एवं धरोहर राशि रू. 40,000/– का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... बैंक का नाम – .... जो **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, को रायपुर** में देय है, संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

<u>निविदाकार एवं वाहन का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–</u>

1– निविदाकार का पूरा नाम ....

2– पिता/पति का नाम ....

3– वर्तमान पता ....

....

4– स्थायी निवास का पता ....

....

5– निविदाकार की जन्मतिथि ....

6– निविदाकार के नाम से पंजीयन वाहन का क्रमांक ....

....

7– वाहन का प्रकार ....

8– वाहन का निर्माणी वर्ष व मेक वर्ष 2018 के पूर्व की न हो ....

9– अ– वाहन में कितने व्यक्ति को बिठाने की व्यवस्था है? ....

ब– आर.सी.बुक में दर्ज बैठक क्षमता दर्शावें? ....

10– यदि वाहन किसी फर्म/व्यक्तियों की भागीदारी में है, तो उसका विवरण (समस्त भागीदारी की सहमति का पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करें) ....

....

11– यदि वाहन किसी बैंक से हाइपोथिकेट है तो उसका विवरण दिया जावे। (बैंक का पट्टे पर वाहन चलाने हेतु सहमति पत्र दिया जावे) ....

....

....

		पताका लगावें
12– बीमित अवधि (छायाप्रति संलग्न करें)	दि.....................से दि.....................तक वैध	पताका–''अ''
13– फिटनेस अवधि (छायाप्रति संलग्न करें)	दि.....................से दि.....................तक वैध	पताका–''ब''
14– परमिट	दि.....................से दि.....................तक वैध	पताका–''स''
15– रोड़/मोटर व्हीकल टैक्स (छायाप्रति संलग्न करें)	दि.....................से दि.....................तक वैध	पताका–''द''
16– वाहन चालक का लायसेन्स (छायाप्रति संलग्न करें)	दि.....................से दि.....................तक वैध	पताका–''इ''

निविदाकार के हस्ताक्षर

।। निविदा हेतु दरें ।।

(लिफाफे 'स' में सील बंद कर रखा जावें)

एक बस बैठक क्षमता .... सीटर, संयंत्र तथा आफिस स्टाफ के परिवहन हेतु :–

निम्नांकित समय सारिणी अनुसार

छूटना			पहुँचना		
ट्रिप	**स्थान**	**समय**	**स्थान**	**समय**	**कार्य**
प्रथम ट्रिप	उरला संयंत्र	5:00 बजे सुबह लगभग	डेयरी कालोनी	6:00 बजे सुबह	संयंत्र स्टाफ को छोड़ना
	डेयरी कालोनी	7:10 बजे सुबह लगभग	उरला संयंत्र	8:00 बजे सुबह	संयंत्र स्टाफ को लाना
द्वितीय ट्रिप	उरला संयंत्र	8:10 बजे सुबह लगभग, खाली वाहन	डेयरी कालोनी	8:50 बजे सुबह	खाली वाहन
	डेयरी कालोनी	9:00 बजे सुबह लगभग	उरला संयंत्र	10:00 बजे सुबह	कार्यालयीन स्टाफ को लाना
तृतीय ट्रिप	उरला संयंत्र	4:00 बजे शाम लगभग	डेयरी कालोनी	5:00 बजे शाम	संयंत्र स्टाफ को छोड़ना
	डेयरी कालोनी	5:05 बजे शाम लगभग, खाली वाहन	उरला संयंत्र	5:50 बजे शाम	खाली वाहन
चतुर्थ ट्रिप	उरला संयंत्र	6:00 बजे शाम लगभग	डेयरी कालोनी	7:00 बजे शाम	कार्यालयीन स्टाफ को छोड़ना
	डेयरी कालोनी	8:00 बजे रात्रि लगभग	उरला संयंत्र	9:00 बजे रात्रि	संयंत्र स्टाफ को लाना

टीपः– 1–कार्यालयीन स्टाफ हेतु बस शासकीय अवकाश के दिन नहीं चलेगी, अर्थात कार्यालयीन अवकाश में वाहन उपरोक्त 04 ट्रिप के स्थान पर केवल 02 ट्रिप चलेगी। (माह में न्यूनतम 05 शासकीय अवकाश होते है।)

2–स्टाफ बस की एक ट्रिप (उरला–छोकरानाला–उरला) की दूरी लगभग 60 कि.मी. है।

प्रति ट्रिप दर रू ....
(अंको में)
प्रति ट्रिप दर रू ....
(शब्दों में)

निविदाकार के हस्ताक्षर
पता – ....
....
....

....

।। स्टाफ बस परिवहन अनुबन्ध की शर्ते।।

स्टाफ बस परिवहन निविदा क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 उरला, दिनांक 29–11–2021 के तारतम्य में यह अनुबंध पत्र स्टॉफ बस संचालन हेतु आज दिनांक .... को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग या उनके प्रतिनिधि एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति श्री... निवासी... .... है। प्रथम पक्ष को आगे महासंघ एवं द्वितीय पक्ष को आगे वाहन ठेकेदार के नाम से संबोधित किया जावेगा।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच वाहन ठेकेदार की बस क्रमांक——————————————————माडल —————————— बैठक क्षमता———— व्यक्ति, को रूपये ————————— शब्दों में ——————————————————————————————————— प्रति ट्रिप की दर से अनुमानित दूरी 60 कि.मी. प्रति ट्रिप पर संचालन हेतु आज दिनांक —————————— को निम्नलिखित शर्तों पर स्टाफ बस संचालन हेतु निष्पादित किया गया :–

1– यह कि ठेकेदार द्वारा उनके स्वयं की मालकियत की बस जिसकी बैठक क्षमता .... पंजीयन क्रमांक .... माडल – .... है जो कि प्रबन्धन द्वारा नियोजित स्टाफ को पुरानी डेयरी कालोनी छोकरानाला रायपुर (छ.ग.) शहर के विभिन्न बिन्दुओं से स्टाफ बस में बैठाकर उन्हें ड्यूटी हेतु निर्धारित समय पर डेयरी प्लान्ट उरला, जिला–दुर्ग तक लाना/ले जाना सम्मिलित है, जिसके लिए वाहन द्वारा प्रतिदिन निविदा की शर्तो में किये गये उल्लेखानुसार ट्रिप लगाकर संलग्न विवरणानुसार स्टाफ लाने ले जाने का कार्य सम्पन्न करेगी जिसका भुगतान प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरान्त देयक प्रस्तुत करने के दिनांक से 15 कार्य दिवस में दिया जावेगा।

2– स्टाफ बस के लिए प्रस्तुत निविदा प्रति ट्रिप आधार पर समस्त व्यय जैसे– ईधन, वाहन अनुरक्षण, बीमा–परमिट–अनुज्ञा–कर आदि का व्यय, चालक एवं परिचालक का वेतन, वर्तमान में प्रचलित टोल टैक्स, वाहन की साज–सज्जा व्यय ह्मस, संचालन लाभ आदि शामिल है, की गणना करते हुए दिया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी मद में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदा खोलने की तिथि के बाद लगे नवीन टोल टैक्स/वर्तमान टोल टैक्स के दर परिवर्तन के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति तदाशय के देयक प्राप्त होने पर महासंघ द्वारा की जावेगी।

3– ठेकेदार द्वारा उपरोक्तानुसार अवधि में वाहन के लिए आवश्यक समस्त अभिलेख जैसे–पंजीयन, परमिट, इंश्युरेन्स, फिटनेस इत्यादि विधि पूर्ण उपयोगिता हेतु तैयार कर वाहन के साथ सदैव सुलभ कराये जावेंगे तथा किन्ही अभिलेखों के अभाव में यदि कोई शास्ति किसी भी शासकीय विभाग द्वारा आरोपित की जाती है तो उसके वाहन का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर होगा। ठेकेदार वाहन से उत्पन्न होने वाले सभी दंडित व्यावसायिक ,मोटर दुर्घटना दावा एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा न्यायिक कार्यवाही में स्वयं उपस्थित होगा। प्रबन्धन उपरोक्त हेतु किसी भी प्रकार से न तो पक्षकार रहेगा और न ही इस संबंध में किसी प्रकार से प्रबन्ध का कोई उत्तरदायित्व ही रहेगा। ऐसे प्रकरणों में न्यायिक एवं अन्य सभी व्यय भी ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा।

4– (1) स्टाफ बस प्रतिदिन पुरानी डेयरी कालोनी छोकरानाला रायपुर से प्रारंभ होकर विभिन्न स्टापेज से कर्मचारियों को लेते हुए डेयरी प्लान्ट उरला, जिला–दुर्ग तक पहुंचेगी। इसी प्रकार डेयरी प्लान्ट उरला, जिला–दुर्ग से वापस छोकरानाला रायपुर तक संचालन किया जावेगा और प्रतिदिन/प्रतिट्रिप आने–जाने के समय की प्रविष्टि डेयरी प्लान्ट उरला के मेनगेट पर सुरक्षा कर्मियों के पास उपलब्ध पंजी में करेंगे जिसके आधार पर ही आवश्यक सत्यापन कर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(2) विशेष/आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर सामान्य परिस्थितियों में बस निर्धारित मार्ग छोकरानाला स्थित पुरानी डेरी कालोनी से नगरघडी चौक, मोतीबाग रोड होते हुये श्याम टाकीज, पुरानी बस्ती, लाखेनगर होकर विवेकानंद आश्रम चौक, जी.ई.रोड से डेयरी प्लान्ट उरला पहुंचेगी एवं रायपुर स्थित विभिन्न स्टापेज से स्टाफ को लाने एवं छोडने का कार्य करेगी। मार्ग परिवर्तन से अतिरिक्त दूरी होने पर वाहन संचालन का औसत 7.58 कि.मी./लीटर मानकर केवल ईधन व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

5– अनुबन्ध प्रभावशील रहने की अवधि में ठेके पर ली गई वाहन में ठेकेदार द्वारा न तो कोई सवारी अनाधिकृत रूप से चढाई जावेगी और न ही उसके वाहन कर्मियों द्वारा ऐसी सवारियां बैठाई जायेगी अन्यथा अनाधिकृत सवारियां बैठाये जाने पर रू. 200/– प्रतिट्रिप दण्ड शास्ति स्वरूप ठेकेदार के देयकों से कटौत्रा किया जायेगा। वाहन कर्मियों जैसे –वाहन चालक, परिचालक, क्लीनर के व्यवहार अशिष्टतापूर्ण होने पर ऐसे वाहन कर्मियों को सेवा से पृथक कर देना ठेकेदार का कर्तव्य होगा अन्यथा ठेका बिना कोई पूर्व सूचना दिये रद्द कर

देने का एवं अमानत की राशि जब्त करने का अधिकार प्रबन्ध पक्ष के पास रहेगा। अभद्र व्यवहार की स्थिति में महासंघ ऐसी प्रत्येक घटना पर रू. 5000/– का अर्थदण्ड कर सकेगा।

6– दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में प्रबन्ध पक्ष का कोई कर्मचारी अथवा वाहन कर्मचारी यदि घायल होता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार जो भी मुआवजा देय होगा उसका वाहन ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा उक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान न करने पर उसकी वसूली उससे राजस्व वसूली की भांति करने हेतु प्रबन्ध पक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा। इस हेतु ठेकेदार वाहन, वाहन के ड्रायवर कण्डक्टर एवं स्टाफ के सभी सदस्यों की क्षतिपूर्ति हेतु बीमा स्वयं के व्यय से करावेगा।

7– ठेकेदार द्वारा प्रबन्ध पक्ष को जो वाहन ठेके पर दी गई है उस पर यह सुस्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में स्पष्टतः लिखा जायेगा कि **–"छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा स्टाफ परिवहन हेतु ठेके पर अनुबंधित वाहन"**। ठेके की अवधि में वृद्धि नही की जाती है तो निष्पादित अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के उपरान्त वाहन पर लिखा गया उक्त विवरण हटा दिया जायेगा। तदुपरान्त ही ठेकेदार द्वारा जमा अमानत की राशि लौटाई जायेगी। ठेकेदार ठेके की अवधि तक वाहन को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के उपयोग में नही लाएगा तथा न ही किसी भी संस्था के लिए ठेके की वाहन का इस्तेमाल करायेगा अन्यथा अमानत राशि जब्त की जा सकेगी।

8–अ– आकस्मिक/विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हुआ तो अवकाश के दिनों में भी कार्यालयीन कर्मचारियों को कार्यालय तक लाने एवं वापस छोडने हेतु बस लगाना आवश्यक होगा जिसकी जानकारी ठेकेदार को एक दिन पूर्व दी जावेगी।

8–ब. वाहन के परिचालन हेतु आवश्यक डीजल/तेल/टायर/ट्यूब/मरम्मत एवं अन्य सभी उपकरण ठेकेदार द्वारा उनके स्वयं के व्यय से वाहन में लगाये जावेंगे।

9–अ. विशेष/आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर सामान्य परिस्थितियों में बस निर्धारित मार्ग छोकरानाला स्थित पुरानी डेरी कालोनी से नगरघडी चौक, मोतीबाग रोड होते हुये श्याम टाकीज, पुरानी बस्ती, लाखेनगर होकर विवेकानंद आश्रम चौक, जी.ई.रोड से डेयरी प्लान्ट उरला पहुंचेगी एवं रायपुर स्थित विभिन्न स्टापेज से स्टाफ को लाने एवं छोडने का कार्य करेगी । वाहन संचालन हेतु समय सारिणी संलग्न है। प्रबंधन आवश्यकतानुसार मार्ग परिवर्तन कर सकेगा ।

9–ब. **<u>समय सारिणी में उल्लेखित समय से अधिकतम 10 मिनट की छूट विलम्ब हेतु दी जावेगी। इससे अधिक विलम्ब होने पर प्रतिट्रिप रू.200/– की दर से पेनाल्टी की जायेगी। इस हेतु अधितम 30 मिनट विलंब मान्य होगा एवं इससे अधिक होने पर रु.500/– प्रति ट्रिप की शास्ति आरोपित होगी।</u>**

10– ठेकेदार द्वारा दी गई ठेके में नियोजित वाहन में खराबी आ जाने पर अथवा अन्य कोई कारणों से यदि स्टाफ लाने ने जाने में बाधा उत्पन्न होती है, तो ठेकेदार को तत्काल समान क्षमता की वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी तथा अनुबंधित वाहन को 03 दिवस में सुधरवाकर उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिदिन रु. 500/– (पॉच सौ मात्र) देयक से कटोत्रा कर किया जावेगा। इस हेतु अधिकतम सीमा 10 दिवस तक रहेगी इससे अधिक समय लगने पर प्रबंध को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह दण्ड की राशि की सीमा में वृद्धि/अनुबंध निरस्त कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था न किये जाने पर उस ट्रिप की राशि देय नहीं होगी तथा प्रबन्ध अपने विवेकानुसार वैकल्पिक व्यवस्था कर स्टाफ लाने/ले जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा तथा ऐसी स्थिति में की गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो भी राशि प्रबन्ध द्वारा भुगतान की जावेगी वह ठेकेदार से वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धन को रहेगा। साथ ही प्रबन्ध पक्ष द्वारा बस की वैकल्पिक व्यवस्था पर रू. 3000/– प्रतिट्रिप जुर्माना किया जावेगा जो कि ठेकेदार के देयकों से कटौत्रा किया जावेगा।

11– वाहन के अंदर साफ–सफाई, वाहन की सीटों में कव्हर, गर्मी के दिनों में तेज धूप से बचाव हेतु खिड़कियों में पर्दे लगाना अनिवार्य है। ऐसा न पाए जाने पर रू. 50/– प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड़ वसूला जावेगा।

12– अनुबन्ध पत्र के प्रभावशील रहने की अवधि में ठेकेदार द्वारा प्रबन्ध पक्ष के पास रू. 40,000/– (अक्षरी रूपये चालीस हजार मात्र) अमानत राशि के रूप में रखा जायेगा तथा ठेका अवधि समाप्ति होने के उपरान्त यदि कोई वसूली शेष हो तो उसका समायोजन करने के बाद शेष राशि ठेकेदार को प्रबन्ध द्वारा लौटा दी जायेगी किन्तु अमानत की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। अमानत की शेष आंशिक अथवा पूर्ण राशि अनुबन्ध पत्र के समाप्त होने के उपरान्त तीन माह की अवधि में अथवा लेनदार/देनदारी का हिसाब चुकता होने के उपरान्त जो भी तिथि बाद में हो, लौटा दी जावेगी। वसूली की राशि देय राशि से अधिक होने पर महासंघ कानूनी कार्यवाही करते हुए राशि वसूल कर सकेगा।

13– अनुबन्ध प्रभावशील रहने की अवधि में ठेके पर ली गई वाहन में ठेकेदार द्वारा न तो कोई सवारी अनाधिकृत रूप से चढाई जावेगी और न ही उसके वाहन कर्मियों द्वारा ऐसी सवारियां बैठाई जायेगी अन्यथा अनाधिकृत सवारियां बैठाये जाने पर रू. 200/– प्रतिट्रिप दण्ड शास्ति स्वरूप ठेकेदार के देयकों से कटौत्रा किया जायेगा। वाहन कर्मियों जैसे –वाहन चालक, परिचालक, क्लीनर के व्यवहार अशिष्टतापूर्ण होने पर ऐसे वाहन कर्मियों को सेवा से पृथक कर देना ठेकेदार का कर्तव्य होगा अन्यथा ठेका बिना कोई पूर्व सूचना दिये रद्द कर देने का एवं अमानत की राशि जब्त करने का अधिकार प्रबन्ध पक्ष के पास रहेगा। अभद्र व्यवहार की स्थिति में महासंघ ऐसी प्रत्येक घटना पर रू. 5000/– का अर्थदण्ड कर सकेगा।

14– स्टाफ बस के अनुबन्ध की अवधि के मध्य यदि डीजल मूल्य में कमी/वृद्धि पायी जाती है तो वाहन का औसत 7.58 मानकर डीजल मूल्य में कमी/वृद्धि की गणना की जावेगी।

15– यह अनुबन्ध दो वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा।

16– सामान्य परिस्थितियों में उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर दो माह की स्पष्ट एवं लिखित पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा किन्तु अनुबन्ध में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रबन्ध पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह ठेके को तत्काल प्रभाव से रद्द करके ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि जब्त कर ले। इसी प्रकार ठेका समाप्ति के पश्चात् 6 माह तक ठेके की इन्ही शर्तो एवं दरों के अध्याधीन जो एक समय में न्यूनतम 15 दिवस से कम नहीं होगी ठेका वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धन को रहेगा। इस दौरान ठेकेदार पूर्व सूचना देकर वाहन संचालन बन्द नही कर सकेगा अन्यथा प्रबन्ध पक्ष को वैकल्पिक व्यवस्था पर हुये अत्याधिक व्यय की राशि का समायोजन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी जब्त की जा सकेगी।

17– वाहन संचालन संलग्न समय सारिणी/शेडयूल के अनुसार रहेगा। प्रबन्धन को यह अधिकार है कि वह स्टाफ बस समय सारिणी/मार्ग में परिवर्तन कर सके जिसकी लिखित सूचना ठेकेदार को दी जाएगी। मार्ग प्रति ट्रिप (आना–जाना) 60 कि.मी. की है, इस अनुसार प्रतिदिन 04 ट्रिप के अनुसार 240 कि.मी. वाहन का संचालन होगा। शासकीय अवकाश होने पर वाहन 02 ट्रिप के अनुसार 120 कि.मी. संचालन होगा।

18– ठेकेदार द्वारा दी गई ठेके में नियोजित वाहन में खराबी आ जाने पर अथवा अन्य कोई कारणों से यदि स्टाफ लाने ने जाने में बाधा उत्पन्न होती है तो ठेकेदार द्वारा तत्काल समान क्षमता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी तथा अनुबंधित वाहन को 03 दिवस में सुधरवाकर उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिदिन रु. 500/– (पॉच सौ मात्र) देयक से कटोत्रा कर किया जावेगा। इस हेतु अधिकतम सीमा 10 दिवस तक रहेगी इससे अधिक समय लगने पर प्रबंध को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह दण्ड की राशि की सीमा में वृद्धि/अनुबंध निरस्त कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था न किये जाने पर प्रबन्ध अपने विवेकानुसार वैकल्पिक व्यवस्था कर स्टाफ लाने/ले जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा तथा ऐसी स्थिति में की गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो भी राशि प्रबन्ध द्वारा भुगतान की जावेगी वह ठेकेदार से वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धन को रहेगा। साथ ही प्रबन्ध पक्ष द्वारा बस की वैकल्पिक व्यवस्था पर रू. 3000/– प्रतिट्रिप जुर्माना किया जावेगा जो कि ठेकेदार के देयकों से कटौत्रा किया जावेगा।

19– यदि वाहन ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के वैकल्पिक वाहन चलाई जाती है तो इसकी जवाबदारी स्वयं वाहन ठेकेदार की होगी एवं इस हेतु प्रबंध पक्ष जवाबदेह नही होगा साथ ही उक्त व्यवस्था का देयक भुगतान दुग्ध महासंघ द्वारा नही किया जावेगा।

20– वाहन ठेकेदार को वर्तमान में प्रचलित टोल टैक्स का भुगतान स्वयं के व्यय से किया जाना होगा।

21– अनुबन्ध के प्रभावशील रहने की अवधि में ठेकेदार एवं प्रबन्ध पक्ष के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे प्रकरणों में सभी प्रकार का क्षेत्राधिकार शहर रायपुर में होगा।

....

PRE CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

This pre-bid contract Agreement (herein after called the integrity pact) is made on……….................…… day of the month …………..20………, between, the Government of Chhattisgarh acting through the Managing Director, Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit (Designation of the officer, Department) government of Chhattisgarh (hereinafter called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) as the First party, who proposes to hire vehicles for transportaion of milk and milk products and Shri

……………………………………...…….. Son/Daughter of ________________________________ (here in after called the "BIDDER/Seller", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) as the second party, who is willing to offer/has offered the desired service.

WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government/ undertaking /partnership/Registered Export Agency, Constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

Enabling the BUYER to obtain the desired Store/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

Enabling the BIDDERS to abstain from bribing of indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following:-

The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same prima facie found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF THE BIDDER

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commititself to the following:-

The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the contract of forbearing. To do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

The BIDDER further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of the Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any public sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER"s exclusion from the tender process.

If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through Bank Draft in favour of Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit.

The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contact that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture if Performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/ Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceeding with the other BIDDER(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason thereof.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving anycompensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate While in case of a BIDDER from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to

recover the aforesaid sum and interest.

(V) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to recover the payments already made by the BUYER, along with interest.

(iii) To cancel all or any other contracts with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/ rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not beopened.

(x) If the BIDDER or any employee the BIDDER or any person acting on behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term close relative for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer any in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money (s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER.However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purpose of this Pact.

8 FALL CLAUSE

The BIDDER undertakes that it has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, than that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER , if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITORS

The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/ Subcontractor(s) with confidentiality.

As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER.

The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correction problematic situations.

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this integrity Pact...................................at on ....

BUYER BIDDER

Name of the Bidder

Name of the Officer
Designation
Department/PSU

Witness witness

अनुसूची–1

(रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे।)

शपथ पत्र

मै .... आयु .... पिता/पति श्री ....निवासी .... मो0 नंबर .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅं कि :–

1. मैं उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूॅं।
2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदा क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 उरला, दिनांक 29–11–2021 के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमत होते हुये, स्टाफ बस संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूॅं।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुझे किसी भी कारण से कभी भी अपनी निविदाओं में भागीदारी से रोकने हेतु काली सूची में नहीं डाला गया है।
4. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविष्य में पाया गया कि मुझे कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा काली सूची में डाला गया है, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।
5. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 उरला, दिनांक 29–11–2021 के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मै .... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅं कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 5 तक संपूर्ण कथन मेरी संपूर्ण जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह

1. हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

आधार क्रमांक ....

मो. क्रमांक ....

2. हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

आधार क्रमांक ....

मो. क्रमांक ....

अनुसूची–2

(रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे।)

शपथ पत्र

मै .... आयु .... पिता/पति श्री ....निवासी .... मो0 नंबर .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–

1. मैं उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूँ।
2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदा क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 उरला, दिनांक 29–11–2021 के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमत होते हुये, स्टाफ बस संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत नहीं है।
4. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में माननीय संचालक सदस्य नहीं हैं।
5. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविष्य में पाया गया कि मेरे कोई निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत हैं, या इसके माननीय संचालक सदस्य हैं, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।
6. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक 2596/छगदुमसं/प्रशासन/2021 उरला, दिनांक 29–11–2021 के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मै .... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 6 तक संपूर्ण कथन मेरी संपूर्ण जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह

1. हस्ताक्षर :	2. हस्ताक्षर : ....
नाम :	नाम : ....
पता :	पता : ....
आधार क्रमांक	आधार क्रमांक ....
मो. क्रमांक	मो. क्रमांक ....